

श्री विवेक शर्मा

राजस्थान सरकार  
(कायदा - 129)

TDR के तामिन होकर रजिस्ट्रार है  
TDR के तामिन रिफाई एंड लिस्टिंग  
दिनांक 31/12/24 फॉर्म नंबर 8 के

जनरल रूलस सिविल रूलस 129 अपेन्डेंक्स  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/452

किरम मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फंसला 4	पेशी दिनांक 5
251 A (1) प्रार्थना-पत्र	277/24 277/24	02/12/24		31/12/24 28/11/25 11/12/25 19/1/25 4/3/25 18/3/25 24/3/25 1/4/25 02/4/25

जॉय रिफाई प्राप्त ✓  
[Signature]

अनवान

श्री मेजर महेश्वर एंडर प्रोजेक्ट ग्राम आरूण  
जारी फार्म मदनसाल सोनी बगेरह  
निवासी प्लॉट नं. 3 आरूण (भीलवाड़ा)

श्री श्रीमान तहसीलदार महोदय  
निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुवेश कुमार धामा

श्री TDR

FORM NO. III

फर्दे अहकम

(बिगम 26)

जज अवैतल

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

विजिलियां

अपनी जमानत लेनी

काम

श्रीगंग तहसील नगर सादत

किरम मुकदमा

251 (A)

नम्बर 277

/2024

कारिय  
त-ग

मुकम या जमानतवाली मय इतिहासयन्त्रा जज

नम्बर न कारिय  
आहकम जो मुक  
मुकम की चापीन  
में जारी हुय

2/12/2024

प्राथना पत्र शीमे से बाद जाय पेश हुआ। प्राथना पत्र दर्जे रजिस्टर किया जाकर अपाणी को नोटिस मय नकल प्राथना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्तो तलवी/जवाब दिनांक 30/12/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
विजिलियां

30/12/24

पत्रावली पेश हुय। अभिमापक वादी/प्रतिवादी उपरिधत श्रीगंग PO. सा दौर पर है। पत्रावली दिनांक 23/11/25 को वास्तो पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

28/12/25

पत्रावली चरा हुरी पत्रावली में विवसी की बाद तालि प्राप्त हुरी बिदे शारिह पत्रावली किया गया। विवसी की और से चरोउर खरख उपरिधत पत्रावली में तजर विजिलिया को जाल रिपोर्ट बनत तहरीर जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 11/02/25 को चरा हो

उ

19/12/25

पत्रावली चरा हुरी पत्रावली गदते 3 रिपोर्ट (तजर) आगामी दिनांक 19/02/25 को चरा हो

उ

19/12/25

पत्रावली पेश हुय। अभिमापक वादी/प्रतिवादी उपरिधत श्रीगंग PO. सा दौर पर है। पत्रावली दिनांक 19/12/25 को वास्तो पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

04/3/25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते इ. रिपोर्ट (१७२) आगामी दिनांक 18/3/25 को पेश हो।

18/3/25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। वास्ते बहस / निष्पत्ति आगामी दिनांक 24/3/25 को पेश हो।

24/3/25

ट्वीका (हो.)  
24-3-25

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार विजिलिया की रिपोर्ट को प्रती माहिसमा से स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते निष्पत्ति आगामी दिनांक 01/4/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

विजिलिया जिला-भीलवाड़ा

01/4/25

पत्रावली पेश हुई। अभिनायक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/4/25 को वास्ते पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

2/4/25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में ओपेरा पारित किए गए। तहसीलदार विजिलिया को पालाच लिखा जावे। पत्रावली फॉरवर्ड शुमाट होकर, जम्बर से कम होकर, वास्ते पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

विजिलिया जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

पत्र संख्या :- 277/2024

दायर तारीख 02/12/2024

अनवान

1. मैसर्स महादेव एंटरप्राइजेज ग्राम आटूण जरिये पार्टनर मदन लाल सोनी पुत्र रामचन्द्र सोनी जाति सोनी उम्र 56 वर्ष निवासी वॉर्ड नम्बर 03 आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. मैसर्स महादेव एंटरप्राइजेज ग्राम आटूण जरिये पार्टनर शिव कुमार पुत्र रतनलाल जाति स्वर्णकार उम्र 52 वर्ष निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
3. मैसर्स महादेव एंटरप्राइजेज ग्राम आटूण जरिये पार्टनर सॉवरिया पुत्र कालूलाल जाति गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी नाथडियास पोस्ट खैरावाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा।

..... विपक्षी

उपस्थित :- 1. श्री मुकेश धाकड़ .....अधिवक्ता प्रार्थीगण।  
2. पैरोकार सरकार .....अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:-निर्णय:-

दिनांक :- 02/04/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये धेवक्ता श्री मुकेश धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विपक्षी तहसीलदार बिजौलियाँ पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा। प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी बिजौलियाँ खुर्द पटवार हल्का बिजौलियाँ खुर्द में तहसील जौलियाँ की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 964 पर अंकित आराजी संख्या 2268/311 रुवा 0.3237 हैक्टेयर किस्म गेमु भटवेड कुल किता 01 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं, नस पर आने जाने के लिए 30 फीट चौड़ा खसरा 310 गेमु रास्ता से बिलानाम आराजी खसरा संख्या 311 रकबा 10.4571 हैक्टेयर में से होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 268/311 में प्रवेश करता है। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में अ से ब से दर्शाया गया है। विपक्षी ने उक्त भूमि आराजीयात में से होकर गुजरने वाला रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में तरमीम नहीं होने से प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में एवं भविष्य में विपक्षी की उक्त भूमि न्य को आवंटन की स्थिति में उक्त रास्ते के अवरुद्ध होने का अंदेशा बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण/आवेदकगण अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने के उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं नक्शे में तरमीम कराना चाहता हूं। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थीगण विपक्षीगण की उक्त आराजीयात पर स्थित 30 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार मुआवजा भुगतान को तैयार है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावे।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रमाणपत्र दिनांक 02/12/2024 को दर्जे नॉनग्रैंटर करवाया जाकर विपक्षीयण तलबी जरिये नोटिफा मय नकल प्रार्थनापत्र भेज  
 लाया गई है। तहसीलदार विजौलिया की बात तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी की और से  
 शांकर सरकार पेशकृत। तहसीलदार विजौलिया को स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहसील दिनांक  
 10/12/2025 को राशि की गई तहसीलदार विजौलिया से स्थल रिपोर्ट कमाक/राजस्व/2025/452 दिनांक 18/03/2025 से मय  
 का रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार विजौलिया ने अपनी  
 मय निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि:-

भू.अनि. विजौलिया खुर्द एवं पटवारी हल्का विजौलिया खुर्द की रिपोर्ट अनुसार ग्राम विजौलिया  
 खुर्द की आराजी संख्या 2268/311 रकबा 03237 हैक्टर भूमि मैसर्स महादेव एन्टरप्राइजेज ग्राम आदूण जरिये पार्टनर मदनलाल  
 मीनी पुत्र रामचन्द्र रानी हिस्सा 7/10 जाति सोनी सा. आदूण, पार्टनर शिवकुमार पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4 जाति स्वर्णकार  
 सा. विजौलिया पार्टनर सावरिया पुत्र कालुलाल 1/20 जाति गुर्जर सा. नाथडियास पोस्ट खैराबाद के नाम पर खातेदारी से  
 लई रिपोर्ट है प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता आराजी नम्बर 310 से स्वयं की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2268/311  
 कबा 0.3237 हैक्टर में पहुचने के लिए विलानाम आराजी नम्बर 311 रकबा 10.4571 हैक्टर में से होता हुआ दक्षिणी मैड  
 र पहुचने के लिए 30 फीट चौड़ाई का रास्ता संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार दर्ज करना चाहते हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि  
 ठीक पर खाली वाकर पड़त है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि खनिज समावित/खनिज स्वीकृत क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी  
 पर स्थित है। तथा आयादी व सड़क से 01 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के अलावा उक्त  
 खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2268/311 रकबा 0.3237 हैक्टर भूमि पर पहुचने हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक रास्ता  
 नहीं है। उपस्थित प्रार्थीगण व मोतविरान ने उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर  
 नहीं की है। उक्तानुसार रिपोर्ट में रास्ता दर्ज किए जाने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि 0.0860 हैक्टर भूमि बनती है।

ग्राम विजौलिया खुर्द की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नम्बर 311 रकबा 10.4571  
 हैक्टर में से 0.0860 हैक्टर भूमि की डी.एल.सी. दर 780300/- रुपये प्रति हैक्टर से भूमि की मालियत 67106/-रुपये  
 का दुगुना से 134212/- रुपये की राशि बनती है। अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस श्रीमान् की सेवा  
 में सदर प्रेषित है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार विजौलिया से प्राप्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया एवं  
 पत्रावली पर हस्ताक्षर किए। पेशकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसीलदार विजौलिया की मौका रिपोर्ट/स्थल  
 रिपोर्ट का अध्ययन करने एवं पेशकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने एवं तहसीलदार विजौलिया से प्राप्त  
 जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि:-

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान कारतकारी  
 अधिनियम 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी ग्राम विजौलिया  
 खुर्द पटवार हल्का विजौलिया खुर्द भू.अनि.क्षेत्र विजौलिया खुर्द तहसील विजौलिया के खाता संख्या 964 में  
 अंकित खसरा नम्बर 2268/311 रकबा 0.3237 हैक्टर भूमि कुल खसरा 01 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टर भूमि  
 में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी/राजस्थान  
 सरकार जरिये तहसीलदार विजौलिया की बिलानाम ग्राम विजौलिया खुर्द पटवार हल्का विजौलिया खुर्द  
 तहसील विजौलिया की आराजी संख्या 311 रकबा 10.4571 हैक्टर में से 0.0860 हैक्टर भूमि कुल किता  
 01 कुल रकबा 10.4571 हैक्टर भूमि में से 0.0860 हैक्टर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता  
 (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसील विजौलिया राजस्व रिकॉर्ड में गैर  
 मुनकीन रास्ता दर्ज करें।

प्रस्तावित रास्ते की ग्राम विजौलिया खुर्द की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी  
 नम्बर 311 रकबा 10.4571 हैक्टर में से 0.0860 हैक्टर भूमि की डी.एल.सी. दर 780300/- रुपये प्रति  
 हैक्टर से भूमि की मालियत 67106/-रुपये का दुगुना से 134212/- रुपये की राशि बनती है। बतौर  
 मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में  
 रास्ता अभिलिखित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार विजौलिया को लिखा जावे।



आदेश आज दिनांक 02/04/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया  
 नम्बर से कम की जाकर फौसल शुमार हो।

(अजीत सिंह रावौड़)  
 उपखण्ड अधिकारी विजौलियां